भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1977
30 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का प्रदर्शन

1977**. श्री आशीष दुबे:**
श्री यदुवीर वाडियार:
श्री विवेक ठाकुर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की वर्तमान स्थिति तथा उपलब्धियां, विशेषकर आकांक्षी जिलों में, क्या हैं;

(ख) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किस हद तक निवेश आकर्षित किया गया है, उत्पादन हुआ है और नौकरियों/रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं;

(ग) मेगा फूड पार्कों के विकास एवं परिचालन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा संगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में उनका क्या योगदान है; और

(घ) भारतीय खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने, उनकी ब्रांडिंग मजबूत करने तथा उद्योग में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए ₹10,900 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना पात्र वृद्धिशील बिक्री की उपलब्धि पर प्रदर्शन-लिंक्ड प्रोत्साहन प्रदान करती है और इसका उद्देश्य घरेलू प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन को बढ़ावा देना, वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन सृजन में सहायता करना, विदेशी बाजारों में भारतीय खाद्य ब्रांडों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर सृजित करना है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में 127 कंपनियों से कुल 163 आवेदन शामिल हैं, जिसमें 69 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) शामिल हैं। अनुमोदित परियोजनाएं 22 राज्यों में 212 स्थानों पर हैं। जून, 2026 तक ₹3,271.44 करोड़ के प्रोत्साहन वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना ने खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार, बिक्री और निर्यात में वृद्धि, निवेश के जुटाव और रोजगार सृजन में योगदान दिया है। इस योजना के अंतर्गत किए गए निवेश के परिणामस्वरूप 34 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का सृजन हुआ है।

पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत अनुमोदित आवेदकों ने ₹7,722 करोड़ के प्रतिबद्ध निवेश की तुलना में ₹9,207 करोड़ का निवेश किया है और 2.50 लाख के लक्ष्य की तुलना में लगभग 3.35 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। पीएलआई-समर्थित उत्पादों की बिक्री वित्त वर्ष 2019-20 में ₹58,758 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में ₹1,08,854 करोड़ हो गई।

आकांक्षी जिलों में पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत अनुमोदित इकाइयों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): मंत्रालय ने वर्ष 2008 से अंब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत एक घटक योजना, मेगा फूड पार्क योजना को कार्यान्वित्त किया। इस योजना में प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, सामान्य प्रसंस्करण और सक्षम अवसंरचना के सृजन के लिए क्लस्टर-आधारित हब-एंड-स्पोक दृष्टिकोण अपनाया गया। मेगा फूड पार्क योजना को दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 25 राज्यों में कुल 41 मेगा फूड पार्कों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 25 प्रचालनरत हैं। इन परियोजनाओं से 28.57 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) की परिरक्षण क्षमता और 15.41 एलएमटीपीए की प्रसंस्करण क्षमता सृजित होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 86,881 किसानों को लाभ होगा और 1,02,440 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

(घ): पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत, सरकार ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के माध्यम से भारतीय खाद्य उत्पादों के विदेशों में निर्यात और ब्रांडिंग को बढ़ावा देती है। अनुमोदित आवेदकों को विदेशों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर हुए पात्र व्यय के 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जो अधिकतम खाद्य उत्पादों की बिक्री के 3 प्रतिशत या ₹50 करोड़ प्रति वर्ष, जो भी कम हो, तक सीमित है। पीएलआईएसएफपीआई पात्र वृद्धिशील बिक्री पर प्रदर्शन-लिंक्ड प्रोत्साहनों के माध्यम से घरेलू प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन को भी बढ़ावा देती है। अनुमोदित आवेदकों द्वारा किए गए निवेशों ने प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार और आधुनिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सुविधा प्रदान की है। योजना के अंतर्गत नवोन्मेषी और जैविक खाद्य उत्पादों में लगे लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए एक अलग श्रेणी भी प्रदान की गई है।

मंत्रालय प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएफएमई योजना एक मांग-संचालित योजना है जिसका उद्देश्य क्षमता निर्माण, ऋण सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बाजार संपर्क के माध्यम से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना या उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी (प्रति इकाई अधिकतम ₹10 लाख), आधुनिक प्रसंस्करण, परीक्षण, पैकेजिंग और भंडारण अवसंरचना के साथ साझा अवसंरचना और साझा इनक्यूबेशन केंद्रों (सीआईसी) की स्थापना के माध्यम से नए उद्यमों की स्थापना और मौजूदा उद्यमों के उन्नयन का समर्थन करती है, और सामान्य ब्रांडों, पैकेजिंग, लेबलिंग और गुणवत्ता मानकीकरण के विकास के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% तक की ब्रांडिंग और विपणन सहायता प्रदान करती है। आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने और निर्यात की तैयारी में सुधार करने के लिए, यह योजना राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ़्टेम) और राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), उत्पाद-विशिष्ट प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तर हेतु "उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का प्रदर्शन" के संबंध में प्रश्न संख्या 1977 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत आकांक्षी जिलों में अवस्थित इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	पीएलआईएस के अंतर्गत खंड	पीएलआईएस के अंतर्गत निवेश(₹ करोड़)	स्थिति
1	बिहार	मुजफ्फरपुर	रेडी टू ईट/ रेडी टू कुक	18.50	प्रचालनरत
2	बिहार	बेगूसराय	फल और सब्जियाँ	113.00	प्रचालनरत
3	झारखंड	रांची	रेडी टू ईट/ रेडी टू कुक	5.06	प्रचालनरत
4	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	जैविक उत्पाद	0.00	प्रचालनरत
5	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	रेडी टू ईट/ रेडी टू कुक	6.05	प्रचालनरत
6	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	मिलेट उत्पाद	0.00	प्रचालनरत
7	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	मिलेट उत्पाद	0.00	प्रचालनरत
8	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	फल और सब्जियाँ	126.67	प्रचालनरत
9	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	मिलेट उत्पाद	0.00	प्रचालनरत
10	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	मिलेट उत्पाद	0.00	प्रचालनरत

नोट: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलेटऔर जैविक उत्पाद खंडों के लिए प्रतिबद्ध निवेश का कोई प्रावधान नहीं है।
